न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— नया नंबर 2024 / 5

रजु दिनांक :— 25.04.2024

बनवारीलाल मीना पुत्र रामनिवास मीना उम्र 30 साल जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा, राज0।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निर्झरना जिला—दौसा राज0

<u>अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 757 आदेश दिनांक 16.04.2024 तहसीलदार तहसील निर्झरना, जिला दौसा</u>

उपस्थितः— 01. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सी.बी. सिंह
02. सरकार की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 15.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से एक अपील नामांतकरण संख्या 757 दिनांक 16.04.2024 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना के विरूद्ध पेश कर उक्त नामांतकरण को निरस्त करने का निवेदन किया है। अपीलाण्ट के कथन है कि दिनांक 26.07.2023 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आ0ख0नं0 25 एवं आ0ख0नं0 28 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा के खातेदार कल्याण पुत्र ग्यारस्या मीना निवासी ग्राम शिवसिंहपुरा तह0 निर्झरना जिला दौसा से क्रय की थी। जिनका नामान्तकरण संख्या 757 रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के हक में दिनांक 14.03.2024 को लम्बित प्रक्रिया के पश्चात् तस्दीक किया जाकर जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के हक में खोले गये नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 14.03.2024 को तस्दीक किये गये। नामान्तकरण का पुनश्च्य निर्णय पारित कर दिनांक 16.04.2024 को पूर्व स्थिति कायम रखने के आदेश किये गये। अपीलाण्ट का कहना है कि रेस्पोडेण्ट ने आदेश दिनांक 16.04.2024 को पारित करने से पूर्व प्रार्थी / अपीलाण्ट को ना कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया ना ही उसे किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान कर सूचित किया गया तथा एकतरफा आदेश कर निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेण्ट ने अपने आदेश दिनांक 16.04.2024 में माननीय सिविल न्यायालय, लालसोट के निर्णय दिनांक 31.08.2023 के आदेश में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश का उल्लेख किया है परंतु रेस्पोडेण्ट ने ओदश दिनांक 31.08.2023 का सम्पूर्ण विवेचन नहीं किया ना ही आदेश का अवलोकन किया। आदेश दिनांक 31.08.2023 न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट के ब उनवानी प्रकरण नरेन्द्र कुमार बनाम कन्हैयालाल में प्रसारित आदेश में "अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या — 1 को आगामी तिथि तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित सम्पत्ति को विक्रय, रहन एवं अन्यथा अन्तरण नहीं करे

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

मौके स्थिति यथावत बनाये रखे एवम् अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को आगामी तिथि तक पाबंद किया जाता है, कि राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाई रखे।" इस आदेश में केवल मात्र अप्रार्थी संख्या– 1 अर्थात कन्हैयालाल पुत्र रामल्या की भूमि से संबंधित भूमि के बारे में ही अप्रार्थी संख्या 1,2,3 को पाबंद किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को भी केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 कन्हैयालाल की भूमि के हिस्से के राजस्व रिकार्ड की स्थिति बाबत ही पाबंद किया गया है परंतु रेस्पोडेण्ट ने इस आदेश कि गलत व्याख्या कर मनमाने एवं कानूनी रूप से त्रुटि पूर्ण आदेश प्रसारित कर प्रार्थी/अपीलाण्ट के न्यायिक एवं सम्पत्ति के अधिकारो पर कुठाराघात किया है।

अपीलांट ने आगे अभिवचन किए है कि नामांतकरण संख्या 756 दिनांक 19.01.2024 को रहन मुक्त का नामांतकरण तहसीलदार द्वारा दर्ज कर स्वीकृत किया गया। इसी दिन नामांतकरण संख्या 757 का विक्रय पत्र का नामान्तकरण भी पटवारी द्वारा दर्ज किया गया। परंतु बाद में अपीलाण्ट न्याय विरुद्ध परेशान करने के कारण उक्त नामांतकरण समय सीमा में तस्दीक नहीं किया गया। जबकी उस समय पर इसमें कोई भी स्थगन आदेश नहीं था जो समय सीमा होने पर दिनांक 14.03.2024 को एस.एस.ओ. आई.डी. से स्वतः प्रमाणित होकर तस्दीक हुआ। यदि समय सीमा में कोई भी स्थगन आदेश होता तो स्वतः प्रमाणित नहीं होता। जबकि नामांतकरण दिनांक 19.01.2024 को भरे जाने के कारण उसी दिन था अधिकतम 7 योम में स्वीकृत होना चाहिये था। अपीलांट ने उक्त आधारो पर अपील प्रस्तुत कर नामांतकरण संख्या 757 आदेश दिनांक 16.04.2024 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलवी की गई। रेस्पोडेण्ट तहसीलदार निर्झरना से जवाब तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार निर्झरना के जवाब दिनांक 23.05.2024 के बिदुं संख्या 8 में दर्शाया की नामांतरण संख्या 757 दिनांक 14.03.2024 को स्वतः स्वीकृत होने के कारण दिनांक 16.04.2024 को न्यायालय आदेश की पालना से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु नामा0 संख्या 757 रिव्यू करके अस्वीकृत किया गया।

अपील अपीलांट की बहस सुनी गई तथा तहसीलदार निर्झरना के जवाब दिनांक 23.05.2024 व पत्रावली का अवलोकन गुणावगुण के आधार पर किया गया अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन अप्रार्थी संख्या 1 तक ही सीमित है जो कन्हैयालाल है तथा अपीलांट बनवारी लाल माननीय सिविल न्यायालय के उक्त प्रकरण में ना तो पक्षकार दर्ज है एवं ना ही अपीलांट को पाबंद किया गया है। अतः इस प्रकार विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि तहसीलदार निर्झरना द्वारा बिना विधिवत प्रक्रिया के अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक सामान्य आदेश से नामांतरण संख्या 757 को खारिज किया जाना अनुचित है।

अतः निर्णय आदेश तहसीलदार निर्झरना के आदेश क्रमांक भू.अ./2024/325 दिनांक 16.04.2024 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार निर्झरना को विक्रय पत्रानुसार नामांतकरण संख्या 757 को राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.07.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन [illegible])
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
लालसोट,दौसा